



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 1158 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1158

विषय / Sub: पीएम टाइप फ्यूजेस,

पार्ट सं. पीएम-2ए, पीएम-5ए, पीएम-7.5ए, पीएम-15ए, पीएम-10ए, पीएम-20ए और पीएम-25ए
PM TYPE FUSES

Part Nos: PM-2A, PM-5A, PM-7.5A, PM-15A, PM-10A, PM-20A & PM-25A

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश सं.टीएस/आईएनडी/72/132, इश्यू:2 के लिए मेसर्स जय भारत इंडस्ट्रीस, सी-59/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस - II, नई दिल्ली-110 020 द्वारा विकसित और उत्पादित " पीएम फ्यूजेस - 07 टाइप" पार्ट सं. पीएम-2ए, पीएम-5ए, पीएम-7.5ए, पीएम-15ए, पीएम-10ए, पीएम-20ए और पीएम-25ए को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1158, दिनांक 23 दिसंबर 2005, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1158 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1158/1आर, दिनांक 11 मई 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

This is to state that the "PM Fuses - 07 Types" to the Specification No.: TS/IND/72/132, Issue: 2, bearing the Part Numbers: PM-2A, PM-5A, PM-7.5A, PM-10A, PM-15A, PM-20A and PM-25A, developed and manufactured by M/s. Jai Bharat Industries, C-59/4, Okhla Industrial Area, Phase - II New Delhi - 110 020 was issued with Type Approval No.: 1158 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1158, dated: 23rd December 2005 and was subsequently Renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1158/1R, dated: 11th May 2011 with validity up to 30th June 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), सेमिलैक, द्वारा एच ए एल (नासिक प्रभाग) ओझर टाउनशिप-422 207, नासिक, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), CEMILAC, C/o HAL (Nasik Division), Ojhar Township - 422 207, NASIK, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1158, दिनांक 23 दिसंबर 2005 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1158, dated: 23rd December 2005 is amended as stated herewith.

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए./TA-1158/2R
दिनांक/Date : 24 November 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


22/11/16


etc.